# निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

**प्रकरण संख्या 21/प्रा0पत्र/20** तारिख दायराः 01.07.2010

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय झालावाड़

बनाम

नेपालसिंह पुत्र बापूलाल जाति राजपूत नि0 आनन्दपुरा,मिश्रोली तहसील पचपहाड़

प्रा0पत्र अन्तर्गत वास्ते माननीय माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसुचित जाति/जनजाति(अ.नि.प्र.) झालावाड के द्वारा निर्णित दाण्डिक अपील प्रकरण संख्या 7/2020 निर्णय दिनांक 09.06.2020 के आदेश से रिमाण्ड पत्रावली पुनः सुनवाई पर लिये जाने।

उपस्थितः– पेरोकार रसद

श्री अविनाश गुप्ता अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांकः 25.08.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा ट्रेक्टर मय ट्राली न0 आरजे 17 आरए 7105 की सुपुर्दगी बाबत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जाने पर न्यायालय हाजा में 14/प्रा0पत्र पर दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 29.05.2020 को प्रा0पत्र खारिज कर दिया गया जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसुचित जाति/जनजाति(अ.नि.प्र.) झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील प्रकरण सं0 7/2020 निर्णय दिनांक 09.06.2020 से न्यायालय हाजा का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाकर निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी की और से प्रा0पत्र प्रस्तुत किये जाने पर समस्त तथ्यों को देखते हुए पुनः प्रार्थना पत्र का विधि अनुसार निस्तारण करें।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकन किया कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2020 मिसल न0 14/प्रा0पत्र/2020 धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था। जिसकी अपील माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसुचित जाति/जनजाति(अ.नि.प्र.) झालावाड में प्रस्तुत की थी,जहां से दिनांक 09.06.2020 को पत्रावली में यह आदेश प्रदान किया कि" अतः अपीलार्थी नेपालसिंह पुत्र शोभागसिंह जाति राजपूत आयु 45 साल निवासी ताईकाखेड़ा थाना मिश्रोली जिला झालावाड़ द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर,झालावाड़ का आक्षेपित आदेश दिनांक 29.05.2020 अपास्त किया जाकर जिला कलक्टर झालावाड़ को निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पुनः प्रार्थना पत्र का विधि अनुसार निस्तारण करें" जिसकी पालना में प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जब्त ट्रेक्टर मय ट्राली स आरजे 17 आरए 7105,आरजे 17ईए 1084 का स्वामी है उसकी सुपुर्दगी लेना चाहता है, प्रकरण उक्त ट्रेक्टर मय ट्राली मुद्दे माल नही है। प्रकरण में कोई भी कार्यवाही लम्बित नही है व उक्त ट्रेक्टर मय ट्राली की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है। ट्रेक्टर मय ट्राली खडे रहने से खराब हो जावेगें सुपुर्दगी बाबत निवेदन किया गया ।

प्रा0पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गया कि वाहन ट्रेक्टर मय ट्राली को अवैध रूप से परिवहन करने पर तहसीलदार पचपहाड़ की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर जब्त किया गया है, अप्रार्थी का ट्रेक्टर किराये पर उपलब्ध कराया गया था जिससे कोई अवैध परिवहन नही किया जा रहा था मात्र शंका के आधार पर कि गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हैं या कट्टे मिलने के आधार पर जो जब्ती की कार्यवाही की गई है उचित नही है। अप्रार्थी का ट्रेक्टर मय ट्राली को छोडने बाबत अनुरोध किया गया । इस पर पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया गया कि वक्त जांच मौके पर ट्रेक्टर मालिक नेपालसिंह द्वारा बताया गया कि गोकुलसिंह आ0 शोभागसिंह द्वारा ट्रेक्टर किराये पर 500/–रू में भेजा गया तथा गोकुलसिंह आ0 शोभागसिंह से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर मौके पर आने से मना कर दिया व उसके द्वारा यह बताया जाना कि ट्रेक्टर में भरा गेंहू स्वंय का है। उपखण्ड अधिकारी,भवानीमण्डी द्वारा बताई लोकेशन पर ड्राईवर के साथ जाने पर ताई का खेड़ा में गोकुलसिंह आ0 शोभागसिंह के कुंए के पास स्थित खेत में 36 खाली कट्टे जिनका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिड डे मील एवं राशन वितरण में किया जाता है पाये गये हैं जो संदिग्धता जाहिर करते हैं इसी कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना भवानीमण्डी में कराई गई है जिसका सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। जब्त ट्रेक्टर मय ट्राली व उसमें मिला गेंहू राजसात किया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया। माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसुचित जाति/जनजाति(अ.नि.प्र.) झालावाड़ द्वारा अपने निर्णय में अंकन किया गया है कि " आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया, जिसमें न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ को केवल जप्त किये गये माल को रिहा करने का अधिकार नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो विधि सम्मत नही है। उक्त प्रार्थनापत्र तथ्यों के आधार पर निस्तारित नही हुआ है बल्कि न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा यह माना गया है कि धारा 6(क),6(ड) में विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान जिला कलक्टर को जप्त माल को रिहा करने का अधिकार नही है जबकि इस प्रकरण में आरोप पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है न ही धारा धारा 6(क),6(ड) में जिला कलेक्टर को वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने से वर्जित किया गया है। न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा यह भी माना गया है कि आरोप पत्र पेश होने के बाद विशेष न्यायालय को उक्त वाहन की आवश्यकता होने से इन्कार नही किया जा सकता है इस संबंध में इस न्यायालय का यह मत है कि सुन्दरभाई देसाई बनाम गुजरात राज्य एआईआर 2003 एससी 638 के अनुसार जप्त शुदा वाहन का निस्तारण किया जा सकता है और इस प्रकरण में जप्त शुदा वाहन वजह सबूत जप्त नही है।" पत्रावली में संलग्न माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ससम्मान अवलोकन किया गया पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय में अंकन किया गया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 खंड 6क और 6ड में स्पष्ट किया गया है " विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कलेक्टर को जब्त किए माल को रिहा करने का अधिकार नही है" इस क्रम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संस्करण 2016 व्याख्या खण्ड 6 व 7 में पृष्ठ संख्या 70 बिन्दु संख्या (36) विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कलेक्टर द्वारा जब्त किए गए माल को रिहा करने का अधिकार जो (Shambhu Dayal Agarwal vs.State of West Bengal,(1990) 2 SCJ166:(1990) 2 Crimes 665:1990(3)SCC 549:1990 SCC Cr LR(SC)464 के परिपेक्ष्य में है उसके अनुसार " विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कलेक्टर को जब्त किए माल को रिहा करने का अधिकार नही है"

इसी क्रम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संस्करण 2016 व्याख्या खण्ड 6 ड व 7 में पृष्ठ संख्या 79 बिन्दु संख्या (56) विशेष न्यायालय को जब्त की गयी वस्तु को रिलीज करने के लिये शक्तियों निहित है, जबकि जब्त की गयी वस्तु को अधिहृत करने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा आंरभ नही की गयी हो (M/s Devendra Kumar & Bros. Vs. State of U.P. & M/s Anil Traders vs. State of U.P. :1994(1) EFR 49 अनुसार आ.व.अधिनियम 1955 धारा 3,6क,6क(2)सीआरपीसी 1973,खण्ड 457 और 157 – जब किसी अपराध के लिये विशेष अदालत द्वारा संज्ञान ले लिया गया हो और धारा 6 के तहत अधिहरण के लिये कार्यवाही आरंभ नही हुई हो, इस दृष्टिकोण को अपनाने कोई कठिनाई नही हो सकती है कि विशेष अदालत को अकेले जब्त माल की रिहाई या वापसी के लिये आवेदन से निपटने के लिये क्षेत्राधिकार होगा। आगे स्पष्ट किया गया है कि "हम दोहरा सकते हैं कि विशेष अदालत शक्तियों का प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं जबकि आवश्यक वस्तुओं के अधिहरण की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा आंरभ नही की गयी हो। उपरोक्तानुसार थाना भवानीमण्डी में दर्ज प्र0सू0रिपोर्ट 32 बाबत सक्षम न्यायालय (विद्वान मजिस्ट्रेट जो कि विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम भी है) में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है व प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा आवश्यक वस्तुओं के अधिहरण की कार्यवाही नही करने से माननीय विशेष अदालत को अकेले जब्त माल की रिहाई या वापसी के लिये आवेदन से निपटने के लिये विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः उपरोक्तानुसार हमारे विनम्र मत में प्रकरण में न्यायालय हाजा से कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। परिणाम स्वरूप प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड